## भारत सरकार टकसाल /INDIA GOVERNMENT MINT (एसपीएमसीआईएल की इकाई/A UNIT OF SPMCIL) मुंबई/MUMBAI कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय/Subject: यौन उत्पीड़न अधिनियम (बचाव,निषेध व निवारण अधिनियम-2013) के अधीन महिला कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से बचाव। To prevent sexual harassment of women employees as per the Sexual Harassment Act (Prevent, prohibition & Redressal Act – 2013).

कार्यालय आदेश सं भासटमु/प्रशासन/कार्यालय आदेश/ 414/2022 दिनांक 01.09.2022 एवं अधिनियम की धारा वर्तमान) के अनुसार यौन उत्पीड़न अधिनियम 4, निषेध और निवारण अधिनियम- 2013)के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, निम्नलिखित कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक समिति फिर से स्थापित की गयी है। In reference to office order no भासटमु/प्रशासन/कार्यालय आदेश/ 414/2022 Dated 01.09.2022 and as per section 4 of the Sexual Harassment Act (Prevent, prohibition & Redressal Act – 2013), to prevent sexual harassment of women employees, it is expedient to re-constitute a Committee consisting of following Executives & Officials:

 1.श्रीमती इंदरदीप कौर , उप महाप्रबंधक (मा.सं)
 पीठासीन अधिकारी/Presiding Officer

 2.श्री नितिन चौधरी, प्रबंधक (त.प्र )
 - सदस्य/ Member

 3.श्रीमती एस.एस. मजुमदार, उप प्रबंधक (वि एवं ले)
 - सदस्य/ Member

 4.श्रीमती नीता राजेश, विरष्ठ पर्यवेक्षक (असे )
 - सदस्य/ Member

 5.सुश्री नयना परदेशी, (बाहरी सदस्य)
 - सदस्य/ Member

सुश्री नयना परदेशी बाहरी सदस्य है और जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है, उन्हें प्रति बैठक रु.5000- की फीस का भुगतान किया जाएगा (यदि लागू हो तो कर काटा जाएगा)।/ Ms. Nayana Pardeshi is external member and as mentioned in the Act she will be paid the fees of Rs. 5000/-per meeting. (If applicable, Taxes will be deducted).

उपरोक्त पर मुख्य महाप्रबंधक का अनुमोदन दिनांक :12.07.2023 प्राप्त है।

This is issues with the approval of Chief General Manager dated 12.07.2023.

भारत सरकार टकसाल

(एसपीएमसीआईएल की इकाई)

३<u>५२५। ५</u> ४ (इंदरदीप कौर )

उप महाप्रबंधक (मा.सं.)

मुंबई

क्र.भासटम्/प्रशासन/कार्यालय आदेश/*466* /2023

दिनांक : 18/07/2023

प्रति:

1. क्र. 1 से 5 को व्यक्तिगत, भारत सरकार टकसाल (एसपीएमसीआईएल की इकाई), मुंबई

2. सभी अधिकारी /सभी व.पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक ,भारत सरकार टकसाल, मुम्बई (एसपीएमसीआईएल की इकाई)

3. मान्यता प्राप्त यूनियन

4. सूचना फलक (नया/पुराना)

5. कार्यालय आदेश